राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1592/2020

डॉ. लक्ष्मी अग्रवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.12.2020
आदेश की दिनांक : 12.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 03.12.2020 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि रिक्ति वर्ष 2018–19 के विरूद्ध रिव्यू डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी को सहायक आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु उससे कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति दिनांक 03.12.2020 से विचार किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि आरपीएससी द्वारा चयन प्रक्रिया अपनाकर कई पदों के लिए दिनांक 15.07.2014 को विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें सीनियर डिमोन्सट्रेटर पैथेलॉजी का पद था, जिसमें अपीलार्थी सफल घोषित किया गया। अपीलार्थी द्वारा

सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर नियुक्ति आदेश दिनांक 15.12.2017 में अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं किया गया और नियुक्ति आदेश दिनांक 04.06.2017 में अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति को अपीलार्थी से पूर्व नियुक्ति दे दी गई और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 27.05.2019 को उक्त पद की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 21 पर और निजी प्रत्यर्थी डॉ. निधी अग्रवाल का नाम क्रम संख्या 22 पर अंकित किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी सीनियर डिमोन्सट्रेटर पदधारी है और आरपीएससी द्वारा मेरिट क्रमांक 16 अंकित किया गया है तथा सहायक प्रोफेसर कम से कम 4 वर्ष का अनुभव रखता है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 13.09.2019 को डीपीसी आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम पदोन्नति के लिए नहीं जोडा गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने दिनांक 11.09.2019 को अभ्यावेदन दिया, परंतु उस पर कोई विचार नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 13.09.2019 को डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक का सहायक प्रोफेसर पैथेलॉजी के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल स्पेशल अपील (डब्ल्यू) संख्या 1448/2014 देवेन्द्र कुमार बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.04.2016 एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपी (सी) 7423/2013, सीएम संख्या 15903/2013 एनसीटी दिल्ली सरकार व अन्य बनाम राकेश बेनीवाल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.08.2014 की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें इस प्रकार कार्मिकों की पदोन्नति को रोका जाना अयुक्तियुक्त माना है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.05.2017 के द्वारा भी इस तरह पूर्व आचरण रिपोर्ट के आधार पर कार्मिकों की वरिष्ठता परिवर्तित नहीं किए जाने का प्रावधान है। जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त पद पर पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस प्रत्यर्थी विभाग को भिजवाया और अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 03.12.2020 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि रिक्ति वर्ष 2018–19 के विरूद्ध रिव्यू डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी को सहायक आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु उससे कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति दिनांक 03.12.2020 से विचार किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि विभाग द्वारा दिनांक 13.12.2020 को वर्ष 2018–19 में पदोन्नति हेतु जो पदोन्नति आदेश जारी किए गए वो रिक्त पदों के अनुसार दिनांक 01.04.2018 की स्थिति में आवश्यक योग्यता एवं परिवीक्षा काल पूर्ण करने वाले वरिष्ठ प्रदर्शक एवं डीपीसी के उपलब्ध रिक्ति एवं एक चिकित्सक शिक्षक के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्ति के अनुसार पदोन्नति उपरांत जारी किया गया। प्रथम दो नियुक्ति आदेश जारी होने के समय अपीलार्थी के वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। वांछित चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियुक्ति आदेश तृतीय सूची में जारी किए गए थे। दिनांक 27.05.2019 को जो वरिष्ठता सूची जारी की गई। वह दिनांक 01.04.2019 की स्थिति में कार्यरत स्थायी (परिवीक्षाकाल पूर्ण) चिकित्सक शिक्षकों की थी और दिनांक 01.04.2018 की स्थिति में अपीलार्थी का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं होने के कारण वर्ष 2018–19 की डीपीसी में शामिल नहीं किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि विभाग द्वारा वरिष्ठता सूची नियमित कार्मिकों की दिनांक 12.06.2018 को दिनांक 01.04.2018 से जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम भी क्रम संख्या 22 पर अंकित किया गया। परंतु अपीलार्थी को सहायक प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2018–19 के विरूद्ध विचार नहीं किया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को स्थायी कर्मचारी मानते हुए अंतिम वरिष्ठता सूची में उसका नाम जोडा गया। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर का उत्तर प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी को उसके पूर्व आचरण रिपोर्ट प्राप्त उपरांत दिनांक 06.04.2017 को नियुक्ति आदेश जारी किए गए और दिनांक 07.04.2017 को कार्यग्रहण किया और इस प्रकार अपीलार्थी का एक वर्ष का दिनांक 06.04.2018 को परिवीक्षाकाल पूर्ण होता है। वर्ष 2018–19 की पदोन्नति हेतु पात्रता एवं योग्यता निर्धारण दिनांक 01.04.2018 की स्थिति में होना आवश्यक है। अपीलार्थी दिनांक 01.04.2018 को योग्यता एवं पात्रता प्राप्त नहीं होने के कारण वर्ष 2018–19 की डीपीसी में पदोन्नति हेतु अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया, जिन कार्मिकों का दिनांक 01.04.2018 को परिवीक्षाकाल पूर्ण हो गया था, उन्हीं कार्मिकों

का वर्ष 2018 की पदोन्नति पर विचार किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का सीनियर डिमोन्सट्रेटर पैथेलॉजी के पद पर चयन आरपीएससी द्वारा चयन प्रक्रिया अपनाकर किया गया है, जिसमें निजी प्रत्यर्थी डॉ. निधी अग्रवाल का भी चयन अपीलार्थी के साथ ही हुआ है। आरपीएससी द्वारा जारी मेरिट सूची दिनांक 14.07.2016 के द्वारा अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 16 पर अंकित किया गया है और डॉ. निधी अग्रवाल का नाम क्रम संख्या 18 पर अंकित किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मेरिट क्रमांक में अपीलार्थी डॉ. निधी अग्रवाल से वरिष्ठ है। आरपीएससी, अजमेर द्वारा सीनियर डिमोंसट्रेटर के पद का परिणाम एक साथ जारी किया गया है, जिसमें मेरिट क्रमांक भी अंकित किया गया है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा औपचारिकताओं (पुलिस वेरिफिकेशन आदि जैसे) में देरी होने के कारण अपीलार्थी को निजी प्रत्यर्थी के बाद नियुक्ति दिए जाने से उसके मेरिट क्रमांक में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ सकता और न ही अपीलार्थी की मेरिट क्रमांक को उक्त आधार पर बदला जा सकता है। जहां तक अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक डॉ. निधी अग्रवाल को सहायक प्रोफेसर पैथेलॉजी के पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने एवं अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित करने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 27.05.2019 के द्वारा दिनांक 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार कार्मिकों की विभाग द्वारा वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी को क्रम संख्या 21 पर एवं निजी प्रत्यर्थी डॉ. निधी अग्रवाल को क्रम संख्या 22 पर नामांकित किया गया है। परंतु आदेश दिनांक 03.12.2020 के द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों डॉ. निधी अग्रवाल एवं अन्य को सहायक आचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई। जबकि अपीलार्थी को लगभग 8 दिवस विलम्ब से नियुक्ति होने के कारण उसे उक्त पदोन्नति से वंचित कर दिया गया। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी की पूर्व आचरण रिपोर्ट देरी से प्राप्त होने के कारण अपीलार्थी को दिनांक 06.04.2017 को नियुक्ति देने से उसका परिवीक्षा काल दिनांक 06.04.2018 को पूर्ण होता है और दिनांक 01.04.2018 की स्थिति में अपीलार्थी का परिवीक्षा काल पूर्ण न होने के कारण अपात्र माना जाए। हमारे विनम्र मत में आरपीएससी द्वारा

निर्धारित मेरिट क्रमांक के आधार पर कार्मिकों की वरिष्ठता निर्धारित की जाती है। यदि विभाग किसी कार्मिक को पूर्व आचरण रिपोर्ट के आधार मात्र के कारण विलम्ब से नियुक्ति प्रदान करता है तो उसमें अपीलार्थी का कोई दोष नहीं माना जा सकता। हस्तगत प्रकरण में भी अपीलार्थी की प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विलम्ब से नियुक्ति दी जाने के कारण उसे उक्त पद पर पदोन्नति से वंचित नहीं रखा जा सकता। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 03.12.2020 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि उपरोक्तानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.05.2017 को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी की वरिष्ठतानुसार सहायक आचार्य के पद पर रिक्ति वर्ष 2018–19 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु उसके नाम पर विचार किया जावे और जिस तिथि से उससे कनिष्ठ कार्मिक को सहायक आचार्य के पद पर पदोन्नति का लाभ दिया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी उक्त पद पर पदोन्नति का लाभ नियमानुसार दिया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य